

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक:-प.1(136)नविवि/जयपुर/2024

जयपुर, दिनांक:

आदेश

विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 01.07.2022 अभियान समाप्त होने के कारण वर्तमान में लागू नहीं है। अतः उक्त के संबंध में नई दरें प्रस्तावित करते हुए नया परिपत्र/आदेश तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है:-

- | | |
|---|------------|
| 1. शासन उप सचिव-द्वितीय, नविवि | सदस्य |
| 2. शासन उप सचिव-तृतीय, नविवि | सदस्य |
| 3. अति० निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग | सदस्य |
| 4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि | सदस्य |
| 5. वरिष्ठ नगर नियोजक, नविवि | सदस्य |
| 6. श्री नत्थी सिंह, सहा० लेखाधिकारी-प्रथम | सदस्य |
| 7. शासन उप सचिव-प्रथम, नविवि | सदस्य सचिव |

“कमेटी द्वारा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 10.12.2024 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।”

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. अति० निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
6. सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
7. संचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
8. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, नविवि।
10. सहा० लेखाधिकारी-प्रथम, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

Document certified by RAVI VIJAY
<ravijay26@gmail.com>

Digital Signature of Ravi Vijay
Designation : Deputy
Secretary To Government
Date :27-11-2024 10:03:27